-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 26.10.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा IPO में अधिक मुनाफे का लालच देकर साइबर ठगी का शिकार हुए पीड़ित के खाते में कुल ₹2,00,000 की धनराशि कराई गई वापस।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में साइबर क्राइम पुलिस थाना बांदा टीम द्वारा साइबर धोखाधड़ी में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए पीड़ित की कुल ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये) की धनराशि वापस कराई गई। साइबर ठगी के मामले में पीड़ित की धनराशि वापस कराए जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा साइबर क्राइम पुलिस थाना टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे, जिसके क्रम में टीम द्वारा तत्परता से कार्यवाही की गई। गौरतलब हो कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र निवासी संतोष कुमार द्विवेदी को साइबर ठगों द्वारा शेयर बाजार में IPO (Initial Public Offering) में निवेश करने तथा कम समय में अधिक मुनाफा कमाने का लालच दिया गया। ठगों के झांसे में आकर आवेदक से कुल ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये) की धनराशि की ठगी कर ली गई। जिसके संबंध में आवेदक द्वारा NCRP पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत प्राप्त होने पर साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पूरी ₹2,00,000/- की धनराशि वापस कराई गई।

जनपद बांदा पुलिस आमजन से अपील करती है कि शेयर बाजार, IPO अथवा अन्य निवेश योजनाओं में अधिक मुनाफा दिलाने का लालच देने वाले अज्ञात व्यक्तियों एवं फर्जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सतर्क रहें। निवेश करने से पूर्व संबंधित प्लेटफॉर्म एवं कंपनी की प्रमाणिकता की जांच अवश्य करें। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

वापस करायी गई धनराशि-

- कुल ₹2,00,000रुपए।

टीम का विवरण-

1. श्री सुखराम सिंह प्र0नि0 थाना साइबर क्राइम पुलिस
2. उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार सिंह
3. कां0 राजीव कुमार
4. कां0 हिमांशु वर्मा
5. कां0 ललित कुमार
6. कां0 राजेन्द्र परिहार
7. म0कां0 ज्योति उपाध्याय